

दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

शाखा.....

सहमति खण्ड

(जमानतीयों द्वारा निष्पादित किया जाये)

मुझे/हमें ज्ञात है.....(उधारकर्ता का नाम) को ऋणों/अग्रिमों/अन्य गैर निधिक ऋण सुविधाओं की मंजूरी और उसके संबंध में गारन्टी देने की पूर्व शर्त के रूप में गारन्टीदाता(ओ) से संबंधित जानकारी और आंकड़े गारन्टीदाता(ओ) द्वारा ली गई सुविधा, गारन्टीदाता(ओ) द्वारा उसके संबंध में लिये गये दायित्वों और उसके निष्पादन में गारन्टीदाता(ओ) द्वारा की गई किसी चूक के संबंध में दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑप. बैंक लिमिटेड जयपुर को उसके द्वारा घोषित करने के लिये ऋण सुविधा के गारन्टीदाता(ओ) की सहमति की आवश्यकता है।

2. तदानुसार मैं/हम दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर द्वारा निम्नोक्त कतिपय अथवा सभी जानकारी जैसा कि दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को उचित और आवश्यक लगे, प्रकट करने और उसे ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में सहमत हूँ/हैं और इसके लिये सहमति देता हूँ/हैं :

क. मुझसे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़ें :

ख. मेरे/हमारे द्वारा ली जाने वाली ऋण सुविधा संबंधी जानकारी अथवा आंकड़े, और

ग. मेरे/हमारे द्वारा ऐसे दायित्व के निर्वाहन में हुई चूक

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को दी गई जानकारी और आंकड़े सत्य और सही हैं।

4. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि :-

क. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और आंकड़ों को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग, संसाधन कर सकती है और

ख. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, संबंधित जानकारी और आंकड़े अथवा उनके आधार पर तैयार किया गया कोई प्रोडक्ट बैंको/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋणदाताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

5. तथापि जो कुछ उपर्युक्त अन्तर्विष्ट है, हम सहमत होने की पुष्टि करते हैं कि ऋण सीमा को निरस्त करने (बिना पूर्व सूचना के पूर्ण या आंशिक रूप में) का पूर्ण अधिकार है:-

अ. हमारे द्वारा ऋण सीमा/सीमा के भाग को प्रयोग में न लाना एवं /या

ब. किसी भी कारण से ऋण खाता खराब होना, एवं/या

स. ऋण स्वीकृति नियमों का पालन न करने पर

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....	हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....
प्रथम प्रतिभू का नाम.....	द्वितीय प्रतिभू का नाम.....
पदनाम..... विभाग व स्टेशन.....	पदनाम..... विभाग व स्टेशन.....
पी.एफ. सं. शेर खता सं.	पी.एफ. सं. शेर खता सं.
स्थायी पता.....	स्थायी पता.....
.....गो.नं.....मो.नं.....

दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

शाखा

सहमति खण्ड

(ऋणी सदस्य द्वारा निष्पादित किया जाये)

मुझे/हमें ज्ञात है कि मुझे/हमें ऋणों/अग्रिमों/अन्य गैर निधिक ऋण सुविधाओं की मंजूरी की पूर्व शर्त के रूप में मुझसे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े, मेरे/हमारे द्वारा ली गई/ली जाने वाली सुविधा, मेरे/हमारे द्वारा उसके संबंध में लिये गये दायित्वों/लिये जाने वाले दायित्वों और उसके निष्पादन में मेरे/हमारे द्वारा की गई किसी चूक के संबंध में दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑप. बैंक लिमिटेड जयपुर को उसके द्वारा घोषित करने के लिये मेरी/हमारी सहमति की आवश्यकता है।

2. तदानुसार मैं/हम दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर द्वारा निम्नोक्त कतिपय अथवा सभी जानकारी जैसा कि दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को उचित और आवश्यक लगे, प्रकट करने और उसे ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में सहमत हूँ/हैं और इसके लिये सहमति देता हूँ/हैं :

क. मुझसे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े :

ख. मेरे/हमारे द्वारा ली जाने वाली ऋण सुविधा संबंधी जानकारी अथवा आंकड़े, और

ग. मेरे/हमारे द्वारा ऐसे दायित्व के निर्वाहन में हुई चूक

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी रेलवे एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर को दी गई जानकारी और आंकड़े सत्य और सही है।

4. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते है कि :-

क. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और आंकड़ों को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग, संसाधन कर सकती है और

ख. ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य कोई एजेन्सी, संबंधित जानकारी और आंकड़े अथवा उनके आधार पर तैयार किया गया कोई प्रोडक्ट बैंको/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋणदाताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

5. तथापि जो कुछ उपर्युक्त अन्तर्विष्ट है, हम सहमत होने की पुष्टि करते है कि ऋण सीमा को निरस्त करने (बिना पूर्व सूचना के पूर्ण या आंशिक रूप में) का पूर्ण अधिकार है:-

अ. हमारे द्वारा ऋण सीमा/सीमा के भाग को प्रयोग में न लाना एवं /या

ब. किसी भी कारण से ऋण खाता खराब होना, एवं/या

स. ऋण स्वीकृति नियमों का पालन न करने पर

स्थान :

दिनांक:

ऋणी सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....

ऋणी सदस्य का नाम.....

पदनाम.....विभागा व स्टेशन.....

पी.एफ. संशेयर खाता सं.

स्थायी पता.....

.....मो.नं.....